

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**  
**-: आदेश :-**

संचिका सं०-6 / वि०पत्रा०-24-36 / 2023-..... / पटना, दिनांक-  
पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या 4853 दिनांक 11.11.2024 के कंडिका-3 में  
आबंटित कार्य मुख्यालय स्थापना शाखा का वरीय प्रभार एवं महिला विकास  
निगम से संबंधित कार्य का नोडल पदाधिकारी का कार्य श्रीमती विमला कुमारी,  
राज्य-कर विशेष आयुक्त के अवकाश से वापस आने तक श्री नवीन कुमार,  
राज्य-कर विशेष आयुक्त को आबंटित किया गया था। श्रीमती विमला कुमारी,  
राज्य-कर विशेष आयुक्त सम्प्रति अवकाश से वापस आ चुकी हैं। तदालोक में  
मुख्यालय स्थापना शाखा का वरीय प्रभार एवं महिला विकास निगम के नोडल  
पदाधिकारी से संबंधित कार्य श्रीमती कुमारी को पुनः आबंटित किया जाता है।

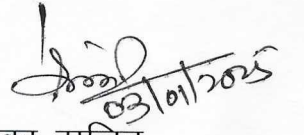
2. शेष यथावत् रहेगा।

ह० / -

(ज्योति प्रकाश)  
सरकार के अवर सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6 / वि०पत्रा०-24-36 / 2023-..... <sup>63</sup> / पटना, दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त  
सचिव/राज्य-कर आयुक्त सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य-कर  
आयुक्त-सह-सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी राज्य-कर अपर  
आयुक्त (प्रशासन/अंकेक्षण/अपील/वसूली कोषांग)/सभी अंचल प्रभारी,  
वाणिज्य-कर विभाग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना/सभी  
संबंधित पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना/मुख्यालय में पदस्थापित सभी  
पदाधिकारियों/मुख्यालय स्थापना शाखा एवं आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर  
विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।